UPSR010001102014

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (अमित कुमार प्रजापति) – उच्चतर न्यायिक सेवा – UP06330

एन०डी०पी०एस० विशेष वाद संख्या– 100018/2014

उत्तर प्रदेश राज्य –––––––अभियोगी/वादी।

बनाम

खोइलन उर्फ राकेश कुमार यादव पुत्र सहजराम यादव,

निवासी खनपुरवा, दा० अमवा, थाना को० भिनगा, जनपद श्रावस्ती।

–––––––विपक्षी/अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या–377/2014

धारा–8/21/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट

थाना– थाना को० भिनगा, जनपद–श्रावस्ती।

निर्णय

1– प्रस्तुत प्रकरण पुलिस चालानी रिपोर्ट पर आधारित है।

2– संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 06.04.2014 को वादी एस०एच०ओ० राम चन्द यादव मय हमराही उ०नि० जय नरायण मिश्रा, कां० रामू सरोज, कां० शिव गोपाल शुक्ला, कां० नीरजपाल, मुख्य आरक्षी राम नरेन्द्र पाण्डेय मय राजकीय वाहन जरिए बोलेरो नं० यू०पी० 46 जी० 8057 थाने से बिनावर तलाश वांछित वारण्टी में मामूर होकर भंगहा मोड़ तिराहा बहराइच भिनगा मार्ग पर खड़े होकर आपस में बात चीत कर रहे थे कि बुलाने पर उ०नि० राम शरण यादव मय हमराह उ०नि० अजेंद्र तोमर, कां० उदयभान यादव मिले। वहीं खड़े होकर वांछित व वारण्टी के सम्बन्ध में बातचीत की जा रही थी कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि उनके थाने से विभिन्न मुकदमों में वांछित अभियुक्त खोइलन उर्फ राकेश कुमार यादव पुत्र सहजराम यादव, निवासी ग्राम खनपुरवा, दा० अमवा, थाना को० भिनगा जो इस समय नशीली गोलियां बेचने का काम करता है तथा इससे पूर्व मवेशी चोरी करता था। शातिर किस्म का मवेशी चोर है जो अपने घर से नशीली गोलियां लेकर उन्हें बेचने के लिये जाने वाला है। यदि जल्दी उसके घर को जाने वाले

Digitally signed by AMIT KUMAR PRAJAPATI
Date: 2026.06.11 16:58:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

खरगौरा सेमरी चक पिहानी मार्ग से ग्राम खनपुरवा जाने वाले चकमार्ग तिराहे पर उसके आने का इन्तजार किया जाए, तो अभियुक्त पकड़ा जा सकता है तथा उसके पास से नशीली गोलियां बरामद हो सकती हैं। इस सूचना पर विश्वास कर हमराहियान को मकसद बताकर मय मुखबिर राजकीय वाहन से मुखबिर के बताये रास्ते से चलकर खनपुरवा जाने वाले रास्ते के बगल लगे पेड़ों की आड़ में राजकीय वाहन खड़ा करके आने वाले व्यक्ति का इन्तजार किया जाने लगा कि कुछ समय बाद एक व्यक्ति खनपुरवा से आने वाले चकमार्ग पर आता हुआ दिखाई पड़ा कि नजदीक आने पर मुखबिर इशारा करके चला गया और नजदीक आने पर पेड़ों की आड़ से निकलकर आने वाले व्यक्ति को टोकते हुए रुकने को कहा गया कि हम पुलिसवालों को देखकर पीछे मुड़कर तेज कदमों से भागने का प्रयास करने लगा कि हमराहियान की मदद से करीब 25–30 कदम जाते–जाते घेरकर रोक लिया गया तथा रोके हुए व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा गया, तो उसने अपना नाम खोइलन उर्फ राकेश कुमार यादव पुत्र सहजराम यादव, निवासी ग्राम खनपुरवा, दा० अमवा, थाना को० भिनगा, जनपद श्रावस्ती बताया तथा भागने का कारण बताया कि साहब हमारे पास नशीली गोलियां हैं, जिसको वह कम दाम पर खरीदकर लाता है तथा जरूरतमंद लोगों को बेचकर मौजमस्ती करता है। पकड़े गये खोइलन उर्फ राकेश कुमार को बखूबी जुर्म धारा 8/21/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट का बताकर उसे बताया गया कि धारा 52 एन०डी०पी०एस० एक्ट में यह प्राविधान है कि वह अपना जामातलाशी किसी मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी से करवा सकते हैं। तब पकड़े गए खोइलन उर्फ राकेश कुमार ने कहा कि साहब जब आपने पकड़ ही लिया है, तो आप ही जामा तलाशी ले लीजिए। वह अपने खिलाफ और गवाह तैयार नहीं करेगा। बाद तैयार करने सहमति पत्र अभियुक्त के अलामात बनवाकर जामा तलाशी ली गयी, तो समय करीब 06.30 बजे अभियुक्त के पहने पैंट के दाहिनी जेब से एक बन्द डब्बे से 10 स्ट्रिप, जिसमें अल्प्राजोलम की नशीली छः सौ गोलियां बरामद हुई। इस प्रकार नशीली गोलियां रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त को बताया गया कि उसका यह कृत्य अतंर्गत धारा 8/21/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट का दण्डनीय अपराध है। बखूबी कारण बताकर धारा 50 दं०प्र०सं० के नियम निर्देशों को बताकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के नियम निर्देशों का पालन करते हुए बरामद नशीली गोलियां को कब्जा पुलिस में तथा अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लेकर गोलियों को उसी डिब्बे में रखकर सील सर्व मुहर किया गया तथा नमूना मोहर तैयार किया गया। दौरान गिरफ्तारी आने जाने वाले तमाम

राहगीर एकत्रित हो गए, जिनसे गवाही हेतु कहा गया, तो भलाई बुराई की डर से बिना नाम बताये चले गये। मौके पर फर्द बरामदगी एस०आई० अजेन्द्र तोमर से लिखवाकर पढ़वाकर, सुनाकर बाद कराने इतमिनान हमराहियान व अभियुक्त के अलामात बनवाये गए। गिरफ्तारी मेमो तैयार कर फर्द की नकल अभियुक्त को दी गयी।

3– पत्रावली में संलग्न फर्द ए –3/3 प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना को० भिनगा में अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या – 377/2014, धारा – 8/21/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट दिनांक–06.04.2014 को समय 08.50 बजे पंजीकृत किया गया।

4– मामले की विवेचना उपनिरीक्षक शशिनाथ द्वारा की गयी। विवेचना के दौरान नकल चिक, नकल रपट की नकल केस डायरी में करते हुए वादी व अन्य साक्षीगण का बयान धारा–161 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। घटनास्थल की नक्शा–नजरी कागज संख्या ए –4 प्रदर्श क–6 तैयार किया एवं पर्याप्त अभियोजन साक्ष्य पाते हुए अभियुक्त के विरूद्ध धारा–8/21/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट में आरोप पत्र कागज संख्या बी –1/5 प्रदर्श क–9 न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया।

5– न्यायालय में आरोप पत्र प्राप्त होने के पश्चात तत्कालीन सत्र न्यायाधीश , श्रावस्ती द्वारा दिनांक– 09.07.2014 को अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा दिनांक–30.07.2016 को अभियुक्त के विरूद्ध धारा–8/21/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

6– राज्य की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप को साबित करने के लिए पत्रावली में पी०डब्लू० –1 सेवानिवृत्त निरीक्षक राम चन्द्र यादव (वादी), पी०डब्लू० 2 सेवानिवृत्त उ०नि० राम शरण यादव (हमराह), पी०डब्लू० 3 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक जय नरायन मिश्र (हमराह), पी०डब्लू० 4 उ०नि० उमा शंकर यादव (चिक राइटर), पी०डब्लू० 5 मुख्य आरक्षी नीरज पाल (हमराह) व पी०डब्लू० 6 निरीक्षक शशिनाथ भारती (विवेचक) को परीक्षित कराया गया है।

7– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा सेवानिवृत्त निरीक्षक राम चन्द्र यादव ने फर्द बरामदगी कागज संख्या ए–3/3 को प्रदर्श क–1 के रूप में, कागज संख्या बी–9 सहमति पत्र को प्रदर्श क–2 के रूप में, कागज संख्या बी–12/13 अभियुक्त के गिरफ्तारी प्रपत्र को प्रदर्श क–3 के रूप में व अभियुक्त के पास से बरामदशुदा माल को वस्तु प्रदर्श

क–1 के रूप में साबित किया है। पी०डब्लू० 4 चिक राइटर उ०नि० उमा शंकर यादव ने मूल जी०डी० की कार्बन प्रति कागज संख्या बी–8 को प्रदर्श क–4 के रूप में व मूल चिक कागज संख्या ए–3/1 ता ए–3/2 को प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है। पी०डब्लू० 6 विवेचक शशिनाथ भारती ने नक्शा नजरी घटनास्थल कागज संख्या ए–4 को प्रदर्श क–6 के रूप में, माल नमूना की रसीद कागज संख्या बी–11/1 ता बी–11/2 को प्रदर्श क–7 के रूप में, माल परीक्षण रिपोर्ट कागज संख्या ए–78/2 को प्रदर्श क–8 के रूप में व आरोप पत्र कागज संख्या बी–1/5 को प्रदर्श क–9 के रूप में साबित किया है।

8– अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात दिनांक 01.04.2026 को अभियुक्त का बयान धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन गवाहान द्वारा गलत व झूठा बयान देने का कथन किया तथा बरामदगी से इन्कार किया है व मुकदमा रंजिशन चलना बताया तथा सफाई साक्ष्य न देने का कथन किया। अतिरिक्त कथन में अभियुक्त ने कहा है कि वह निर्दोष है। उसके विरुद्ध पूर्व से कई झूठे मुकदमें प्रचलित होने के कारण गुडवर्क दिखाये जाने हेतु थाना हाजा की पुलिस उसे घर से उठा लायी और उसके पास से पुलिस द्वारा 600 नशीली गोलियों की फर्जी बरामदगी दिखाकर उसका चालान कर दिया गया जबकि उसके पास से पुलिस द्वारा 600 नशीली गोलियों को बरामद नहीं किया गया है। नशीली गोलियों की बरामदगी बिल्कुल फर्जी है।

9– अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान की मुख्य परीक्षा निम्नलिखित हैः–

10– पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा सेवानिवृत्त निरीक्षक राम चन्द्र यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 06.04.14 को वे थाना को० भिनगा के प्रभारी निरीक्षक थे। उक्त दिनांक को वे और उनके हमराहीयान SI जय प्रकाश मिश्रा, कां० रामू सरोज, का० शिव गोपाल शुक्ला, का० नीरज पाल, हे० का० राम नरेश पाण्डेय के साथ सरकारी वाहन से थाने से प्रस्थान कर बिनावर तलाश वांछित व वारण्टी में क्षेत्र में मामूर था। जब वे लोग भंगहा मोड़ पर पहुंचे और आपस में बात चीत कर रहे थे, तभी वहाँ जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि उनके थाने में वांछित अभियुक्त खोइलन उर्फ राकेश कुमार यादव नि० ग्राम खनपुरवा दा० आमवा थाना हाजा इस समय नशीली दवाइयां बेचने का काम कर रहा है। इससे पूर्व मवेशी चोर शातिर किस्म का अपराधी था जो अपने घर से नशीली गोलियाँ लेकर बेचने जाने वाला है। यदि जल्दी उसके पास घर को जाने वाले खरगौरा से सेमरी चक पिहानी मार्ग से ग्राम खनपुरवा जाने वाले चक मार्ग तिराहे पर उसके आने का इंतजार किया जाय तो अभियुक्त पकड़ा जा सकता है तथा उसके पास से नशीली गोलियाँ बरामद किया

जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके हमराहियान को मकसद मुखबिरी बता करके मय मुखबिर के बताये रास्ते पर चल कर खनपुरवा जाने वाली रास्ते के बगल में लगे पेडों के आड़ से निकल कर आने वाले व्यक्ति को टोकते हुये रुकने को कहा गया , तो हम पुलिसवालों को देख कर पीछे मुड़कर तेज कदमों से भागने का प्रयास करने लगा कि हमराहियान की मदद से करीब 25–30 कदम घेर कर रोक लिया गया। भागने का कारण नाम पता पूछा गया, तो उसने अपना नाम खोइलन उर्फ राकेश कुमार यादव पुत्र सहजराम नि० खनपुरवा दा० अमवा थाना भिन्गा जिला श्रावस्ती बताया तथा भागने का कारण बताया कि उसके पास नशीली गोलियाँ हैं, जिसको वह कम दाम पर खरीद कर लाता है और जरूरतमंद लोगों को बेच कर मौज मस्ती करता है। पकड़े गये खोइलन को बखूबी जुर्म धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट का बता कर धारा 52 NDPS में वर्णित प्राविधान, कि वह अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट / राजपत्रित अधिकारी से करवा सकता है, तो उसने कहा कि साहब जब आपने पकड़ लिया है, तो आप ही जामा तलाशी ले ले। वह अपने खिलाफ और गवाह तैयार नही करेगा। बाद तैयार करने सहमति पत्र अभियुक्त के आलामात बनावाकर जामा तलाशी लिया गया। समय करीब 6:30 बजे प्रातः अभियुक्त के पहने हुये जेब से एक बंद डिब्बे जिसमे 10 ट्रिप अल्प्रजोलम की 600 नशीली गोलियां बरामद हुई। इस प्रकार नशीली गोलियाँ रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त को बताया गया कि आप का यह कृत्य धारा– 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट का दण्डनीय अपराध है, बखूबी बता कर धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के नियमों को बखूबी बताकर तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय / मानवाधिकार के नियमों को बताकर उनके निमयों निर्देशों का पलन करके बरामद गोलियों को पुलिस हिरासत में लेकर गोलियों को उसी डिब्बो में रख कर सील सर्व मोहर किया गया तथा नमूना मोहर तैयार किया गया। दौरान गिरफ्तारी आने जाने वाले तमाम राहगीर एकत्र हो गये, जिनसे गवाही के लिया कहा गया तो भलाई बुराई के डर से बिना नाम बताये चले गये। मौके पर फर्द बरामदगी SI अजेन्द्र तोमर से लिखवाकर पढ़कर सुनाकर बाद कराने इतमिनान हमराहीयान व अभियुक्त के अलामात बनवाये गये। गिरफ्तारी मेमो तैयार कर फर्द की नकल अभियुक्त को दिया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर बनवाये गये। फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मय माल व मुल्जिम को थाना हाजा ले जाकर मुल्जिम के विरूद्ध 377/14 मु० अ० स० में धारा–8/21 एन०डी०पी०एस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। पत्रावली में संलग्न कागज स० ए –3/3 को साक्षी ने देख कर कहा कि यह वही फर्द है जो उसने अपने हमराही SI से लिखवाया था, जिस पर

उसके व उसके हमराहियान के हस्ताक्षर बने हैं और अभियुक्त का निशनी अँगूठा लगा है, जिसे वह प्रमाणित करता हैं, जिस पर प्रदर्श क– 1 डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज सं० बी–9 को साक्षी ने देख कर कहा कि यह अभियक्त का सहमति पत्र है जो उन्होंने मौके पर लिखा था, जिस पर अभियुक्त ने अपना निशनी अँगूठा लगाया था और उन्होंने भी अपना हस्ताक्षर बनाया था, जिसे वे प्रमाणित करते हैं, जिस पर प्रदर्श क– 2 डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज सं० बी–12/13 को साक्षी ने देख कर कहा कि यह अभियुक्त का गिरफ्तारी मेमो है जो उनके हस्तलेख में है जो उनके द्वारा मौके पर तैयार किया गया था, जिस पर उनके तथा हमराहियान के हस्ताक्षर बने है तथा अभियुक्त का निशानी अँगूठा लगा है, जिस पर प्रदर्श क 3 डाला गया। विवेचक ने उनका बयान लिया था। बरामद शुदा माल न्यायालय के आदेश से न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। बरामदशुदा माल सील बंद है, जिस पर मु० अ०स० 377/ 2014 तथा धारा– 8/21/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना को० भिनगा तथा 600 अदद अल्प्राजोमल की नशीली गोलियाँ तथा अभियुक्त खोइलन उर्फ राकेश यादव का नाम अंकित है तथा बरामदशुदा माल के दूसरे पुस्त पर वापसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ से वापसी का क्रमांक 806– केम–14 श्रावस्ती अंकित है। बरामदशुदा माल न्यायालय पर खोला गया जो बरामशुदा डिब्बे के ऊपर जिस पर मु० अ०स० 377/ 2014 तथा धारा– 8/ 21/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना को० भिन्गा तथा 600 अदद अल्प्राजोमल की नशीली गोलियाँ तथा अभियुक्त खोइलन उर्फ राकेश यादव का नाम अंकित है जो वादी मुकदमा द्वारा मौके पर लिख कर सील बंद किया गया था तथा वादी मुकदमा के हस्ताक्षर है तथा उस समय के मजिस्ट्रेट द्वारा सील किया गया है और उस पर उनके हस्ताक्षर व दिनांक 06.04.14 अंकित है। बरामदशुदा माल जो मौके पर सील बंद करके नमूना मोहर बनाया गया था। वह बरामदशुदा पूरा माल 600 गोली जो दस पत्तो में थी। प्रत्येक पत्ते मे 60 गोलियां थी। वह पूरा माल परीक्षण हेतु FSL लखनऊ को भेजा गया था जो जाँच होने के उपरान्त वापस आने पर प्रत्येक पत्ते से 18–18 गोलियाँ परीक्षण हेतु निकाली गयी थी जो कुल संख्या में 180 है। परीक्षण पश्चात शेष गोलियों की संख्या कुल 420 परीक्षण के बाद वापस आई है। माल मुकदमा को देख कर वादी मुकदमे ने कहा यह वही बरामदशुदा माल / अल्प्राजोलम की गोलियाँ है जो घटना के दिनांक 06.04.14 को अभियुक्त उपरोक्त के पास से तलाशी के दौरान बरामद किया था, जिस पर वस्तु प्रदर्श क 1 डाला गया।

11– पी०डब्लू० 2 सेवानिवृत्त उ०नि० राम शरण यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 06–04–2014 को वे चौकी प्रभारी भंगहा पर तैनात थे। उस दिन वादी मुकदमा एस०एच०ओ० राम चन्दर यादव मय हमराही उपनिरीक्षक जय नरायन मिश्रा, का० रामू सरोज व का० शिव गोपाल शुक्ला, का० नीरजपाल हेड का० राम नरेन्द्र पान्डेय मय सरकारी जीप बोलेरो से चलकर थाने के तलाश वांछित व वारण्टियो की तलाश में भंगहा मोड़ तिराहा पर बहराइच भिनगा मार्ग पर खड़े थे तभी एस०एच०ओ० साहब द्वारा उन्हें फोन से सूचना दी गयी कि आप भगहा मोड़ तिराहा पहुंचिए। वे अपने हमराही एस०आई अजेन्द्र तोमर व कां० उदयभान के साथ पहुँचा। वही पर हम लोग आपस में वारण्टियो के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे थे तभी एस०एच०ओ० साहब को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि विभिन्न मुकदमों में वांछित अभियुक्त खोईलन उर्फ राकेश कुमार नशीली गोलियों को लेकर अपने घर से लेकर उन्हें बेचने के लिए जाने वाला है। यदि जल्दी किया जाए तो उसके घर के जाने वाले खरगौरा –समरी चकपिहानी मार्ग से खनपुरवा जाने वाले चकमार्ग तिराहे पर आने का इन्तजार किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके एस०एच०ओ० द्वारा हमराही लोगों को मकसद बताकर मय मुखबिर के सरकारी वाहन से मुखबिर के बताये रास्ते पर चलकर खनपुरवा जाने वाले रास्त के बगल में पेड़ों की आड़ में सरकारी वाहन खड़ा करके आने वाले व्यक्ति का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद एक व्यक्ति खनपुरवा से आने वाले रास्ते पर आता हुआ दिखायी दिया। नजदीक आने पर मुखबिर इशारा करके चला गया। नजदीक आने पर पेड़ों की आड़ से हम लोग निकलकर रुकने के लिए कहा गया, तो यह हम पुलिस वालों को देखकर तेज कदमो से भागने का प्रयास करने लगा। एस०एच०ओ० साहब द्वारा हमराहियों की मदद से 25–30 कदम जाते जाते घेर घार कर पकड़ लिया गया। एस०एच०ओ० साहब द्वारा रोके गये व्यक्ति से नाम पता व भागने का कारण पूँछा, तो उसने अपना नाम खोईलन उर्फ राकेश कुमार यादव पुत्र सहजराम यादव निवासी खनपुरवा दा० अमवा थाना भिनगा बताया था तथा भागने के बारे में बताया कि उसके पास नशीली गोलिया हैं, जिनको वह कम दामों पर खरीदकर लाता है तथा जरूरतमंद लोगो को बेचकर पैसा कमाता है। पकड़े गये व्यक्ति को जुर्म धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट के बारे में बताया गया कि धारा 50 के अंतर्गत वह अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट से करवा सकता है, तो उसने कहा कि आप लोगों ने पकड़ लिया है, इसलिए आप लोग ही उसकी जामा तलाशी ले लीजिए। पकड़े गये व्यक्ति के सहमति देने पर एस०एच०ओ० द्वारा मौके पर सहमति पत्र तैयार करवाया गया, जिस

पर अभियुक्त ने अपना निशानी अंगूठा लगाया था तथा एस०एच०ओ० साहब ने हस्ताक्षर बनाया था। इसके बाद एस०एच०ओ० साहब द्वारा अभियुक्त की जामा तलाशी ली गयी तो समय करीब 6.30 बजे अभियुक्त के पहने पैन्ट के दाहिने जेब से एक बन्द डिब्बे में से 10 स्ट्रिप अल्प्राजोलम की नशीली 600 गोलिया बरामद हुई थी। नशीली गोलियों के रखने के सम्बन्ध में अधिकार पत्र मांगा गया, तो नहीं दिखा सका। अभियुक्त का यह कार्य धारा 8/21/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट का दण्डनीय अपराध है। बरामद नशीली गोलियों को कब्जा पुलिस में लेकर अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लेते हुए बरामद नशीली गोलियों को उसी डिब्बे में रखकर सील सर्वमोहर किया गया तथा नमूना मोहर तैयार किया गया। दौरान बरामदगी व गिरफ्तारी आने जाने वाले लोगों से गवाही के लिए कहा गया लेकिन वे लोग बिना नाम पता बताये मौके से चले गये। फर्द मोके पर एस०एच०ओ० साहब द्वारा बोल बोलकर एस०आई० अजेनद्र तोमर से लिखवाकर पढ़कर सुना कर हम सभी ने अपने अलामात बनाये थे। फर्द पर अभियुक्त ने अपना निशानी अंगूठा लगाया था। एस०एच०ओ० साहब द्वारा मौके पर गिरफ्तारी मेमो तैयार कराया गया था। जिस पर मैंने भी अपना हस्ताक्षर बनाया था। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को मौके पर दी गयी थी। इसके बाद माल मय मुल्जिम हम लोग थाने पर आये थे और दरोगा जी ने रिपोर्ट दर्ज कराया था। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

12– पी०डब्लू० 3 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक जय नरायन मिश्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 06.04.2014 को वे थाना को० भिनगा में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात थे। उस दिन वे तथा उसने एस०एच०ओ० राम चन्द्र यादव मय हमराही कां० राजू सरोज, कां० शिव गोपाल शुक्ला, कां० नीरज पाल, हे० कां० राम नरेन्द्र पाण्डे के साथ सरकारी जीप से थाने से निकलकर वे लोग तलाश वांछित वारण्टी में मामूर होकर भंगहा तिराहे पर बहराइच–भिनगा मार्ग पर खड़े होकर आपस में बात चीत कर रहे थे, तभी एस०एच०ओ० साहब के बुलाने पर उपनिरीक्षक राम शरण यादव व उपनिरीक्षक अजेन्द्र तोमर तथा कां० उदय नाथ यादव आये। वे लोग वहीं पर वांछित वारण्टियों के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे थे, तभी मुखबिर खास से सूचना मिली कि उनके थाने के वांछित अभियुक्त खोइलन उर्फ राकेश जो इस समय नशीली गोलियां बेचने का काम करता है। नशीली गोलियों को लेकर बेचने के लिए जाने वाला है। अगर जल्दी किया जाये, तो उसके घर को जाने वाली खरगौरा सेमरी चक पिहानी जाने वाली रोड से खनपुरवा जाने वाले चकमार्ग पर तिराहे पर उसके आने का इन्तजार किया जाए, तो वह पकड़ा जा सकता है। उसकी बातों पर विश्वास करके

उसके गांव को जाने वाले रास्ते के बगल में पेड़ों की आड़ में गाड़ी को खड़ा करके इन्तजार करने लगे। तभी एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। मुखबिर इशारा करके मौके से चला गया। हम लोग पेड़ों से निकलकर उस व्यक्ति को रोका तथा टोका गया, तो वह पीछे मुड़कर भागने का प्रयास करने लगा। हम लोगों की मदद से 25–30 कदम जाते–जाते घेर घार कर उसको पकड़ लिया गया। एस०एच०ओ० द्वारा नाम पता पूंछते हुए भागने का कारण पूंछा गया, तो बताया कि उसके पास नशीली गोलियां है, जिसके डर से वह भाग रहा था। उसने अपना नाम खोइलन उर्फ राकेश यादव पुत्र सहजराम यादव, निवासी खनपुरवा, थाना को० भिनगा, जनपद श्रावस्ती बताया था। एस०एच०ओ० द्वारा उसे उसके अधिकारों के बारे में बताते हुए बताया गया कि उसकी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष होनी है, तो उसने बताया कि वह और कोई गवाह नहीं बनाना चाहता है। वे लोग ही उसकी जामा तलाशी ले ले। सहमति पत्र बनाकर उस पर निशानी अंगूठा लगवाकर उस व्यक्ति की जामा तलाशी सुबह समय 06.30 पर ली गयी, तो उसके पैण्ट की दाहिनी जेब से एक बन्द डिब्बे में दस स्ट्रिप्स, जिसमें कुल 600 गोलियां थी, बरामद हुई। बरामद गोलियों को कब्जा पुलिस तथा अभियुक्त को हिरासत में लेकर फर्द मौके पर एस०एच०ओ० द्वारा बोलकर उपनिरीक्षक अजेन्द्र तोमर से लिखवाया। बरामद नशीली गोलियों को उसी डिब्बे में रखकर सील सर्व मुहर किया गया व नमूना मोहर तैयार किया गया। मौके पर तमाम लोग आ जा रहे थे, गवाही के नाम पर बगैर नाम पता बताये चले गये। फर्द पढ़कर हम लोगों व अभियुक्त को सुनाया गया था, जिस पर हम पुलिसवालों ने अपने–अपने हस्ताक्षर किए थे तथा अभियुक्त ने निशानी अंगूठा लगाया था। फर्द की नकल अभियुक्त को दी गयी थी। विवेचक ने उनका बयान लिया था।

13– पी०डब्लू० 4 उपनिरीक्षक उमा शंकरयादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 06.04.2014 को वे थाना को० भिनगा में बतौर हेड मोहर्रिर के पद पर नियुक्त थे। उस दिन वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक राम चन्द्र यादव मय फोर्स के एक बन्डल सर्व मुहर अल्प्रजोलम नशीली गोलियों के साथ मय अभियुक्त खोइलन उर्फ राकेश कुमार यादव पुत्र सहजराम यादव, निवासी ग्राम खनपुरवा, दा० अमवा, थाना को० भिनगा, जनपद श्रावस्ती मय फर्द, गिरफ्तारी प्रपत्र व सहमति पत्र लाकर दाखिल किये, जिसके आधार पर उसने अपराध संख्या 377/2014, धारा 8/21/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट बनाम राकेश उर्फ खोइलन पंजीकृत किया था, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक के आदेशानुसार एस०आई० शशि नाथ भारती को दिया गया था। इस मुकदमें की कायमी जी०डी० रपट

संख्या 11 समय 08.50 बजे दिनांक 06.04.2014 को उनके द्वारा लिखा गया था। कागज संख्या बी–8 मूल जी०डी० की कार्बन प्रति है जो प्रभार निरीक्षक के द्वारा लिखी गयी थी। पत्रावली में संलग्न है, जिसकी वे पुष्टि करते हैं, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–3/1 ता ए–3/2 मुकदमें की मूल चिक है जो उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे वे सत्यापित व प्रमाणित करते हैं, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। विवेचक ने उनका बयान लिया था।

14– पी०डब्लू० 5 मुख्य आरक्षी नीरज पाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 06.04.2014 को वे थाना को० भिनगा में बतौर कां० के पद पर तैनात थे। उस दिन वे SHO रामचंद्र यादव मय हमराह SI जयनारायण मिश्रा, HC राम नरेन्द्र पाण्डेय कां० रामू सरोज, कां० शिवगोपाल शुक्ला के साथ थाने से चलकर सरकारी वाहन बोलेरो से वारंटी के लिए भंगहा मोड़ तिराहे पर पहुंचकर आपस में बातचीत कर रहे थे। भंगहा मोड़ तिराहे पर SHO साहब ने फोन करके उनके बुलाने पर भंगहा चौकी के इंचार्ज SI रामशरण यादव व SI अजेन्द्र तोमर व कां० उदयभान यादव के आने पर SHO साहब खड़े होकर वांछित वारंटी के संबंध में बातचीत कर रहे थे। SHO साहब के पास मुखबिर आया और बताया कि विभिन्न मुकदमों में वांछित अभियुक्त खोइलन उर्फ राकेश नशीली गोलियों को लेकर उन्हें बेचने के लिए जाने वाला है। यदि जल्दी किया जाये तो उसे खरगौरा से सेमरी चक पिहानी मार्ग से खनपुरवा जाने वाली कच्ची सड़क पर उसका इंतजार किया जाये तो वह पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की बात पर विश्वास करके हम लोग मय सरकारी वाहन के साथ चलकर खनपुरवा जाने वाले रास्ते के बगल में पेड़ों की आड़ में वाहन खड़ा करके उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद एक व्यक्ति खनपुरवा से आने वाले चकमार्ग पर दिखाई दिया। नजदीक आने पर मुखबिर इशारा करके चला गया। नजदीक आने पर पेड़ों की आड़ से निकलकर हम लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया और हम लोगों को देखकर वह पीछे मुड़कर भागने लगा। हमराहीगणों की मदद से मौके पर ही रोक लिया गया। पकड़ने के बाद SHO साहब द्वारा नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम खोइलन उर्फ राकेश निवासी खनपुरवा थाना भिनगा बताया। भागने के बारे में बताया कि उसके पास नशीली गोलियां हैं इसलिए वह भाग रहा था। नशीली गोलियों की जानकारी होने पर उनके द्वारा उसे उसके विधिक अधिकारों के बारे में बताते हुए बताया गया कि तुम्हारी तलाशी राजपत्रित अधिकारी / मजिस्ट्रेट के द्वारा ली जायेगी। इस पर उसने कहा कि आप लोग ही मेरी तलाशी ले लीजिए। उसकी सहमति पर मौके पर सहमति पत्र तैयार किया गया जिस पर उसने अपना

टॉप लगाया था। मौके पर SHO साहब द्वारा उसकी तलाशी लेने पर उसके पहने पैंट के दायीं जेब से एक बंद डिब्बे में 10 स्ट्रिप जिसमें अल्प्राजोलम की नशीली 600 गोलियां बरामद हुई थी। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 6:30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा बरामद गोलियों को उसी डिब्बे में रखकर मौके पर सफेद कपड़े में रखकर सील सर्वमुहर किया गया था। बरामदगी व गिरफ्तारी के दौरान कुछ लोग आ जा रहे थे। उनसे गवाही देने के लिए कहा गया पर वे बिना गवाही दिये ही चले गये। फर्द मौके पर SHO साहब द्वारा SI अजेन्द्र तोमर द्वारा बोल बोलकर, लिखवाकर पढ़कर, सुनाकर मौके पर मौजूद सभी पुलिसवालों ने अपने हस्ताक्षर बनाये थे तथा अभियुक्त ने अपना टॉप लगाया था। मौके पर गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया था। फर्द की एक प्रति मौके पर अभियुक्त को दी गयी थी। साक्षी को प्रदर्श क–1 दिखाने पर साक्षी ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस मुकदमें के विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

16– पी०डब्लू० 6 निरीक्षक /विवेचक शशिनाथ ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 06.04.2014 को वे थाना को० भिनगा में SI के पद पर तैनात थे। इस मुकदमें की विवेचना उन्हें उसी दिन प्रभारी निरीक्षक महोदय के आदेश से प्राप्त हुई थी। विवेचना ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने पर्चा नं० 1 दिनांक 06.04.2014 को किता किया था, जिसमें नकल चिक, नकल रपट, नकल अवलोकन सहमति पत्र, बयान FIR लेखक हेड मोहर्रिर उमाशंकर यादव तथा बयान कायमी मुकदमा लेखक SI रामशरण यादव तथा बयान अभियुक्त खोइलन उर्फ राकेश कुमार का बयान अंकित किया था। पर्चा नं० दिनांक 07.04.2014 को किता किया था, जिसमें बयान वादी मुकदमा SHO रामचंद्र यादव तथा बयान गवाह SI अजेन्द्र तोमर व बयान गवाह SI रामशरण यादव व बयान गवाह कां० उदयभान यादव व बयान गवाह SI जयनारायण मिश्रा तथा बयान गवाह कां० रामूसरोज व बयान गवाह कां० नीरजपाल व बयान गवाह कां० शिवगोपाल शुक्ला तथा निरीक्षण घटनास्थल वादी मुकदमा की निशानदेही पर किया तथा घटनास्थल का मौके पर नक्शा नजरी तैयार किया गया था तथा बयान समयी साक्षी झलूसे तथा बयान समयी साक्षी पृथ्वीराज का अंकित कर उसका अंकन पर्चे में किया था। पत्रावली में संलग्न कागज सं० A–4 घटनास्थल का नक्शा नजरी है जो उनके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे वे प्रमाणित करते हैं, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया है। पर्चा नं० 3 दिनांक 19.04.2014 को किता किया था, जिसमें अभियुक्त के रिमांड की याचना का अंकन किया गया है। पर्चा नं० 4 दिनांक 28.04.2014 को किता किया था, जिसमें उनके द्वारा माल नमूना को माल परीक्षण हेतु

FSL लखनऊ में दिनांक 17.04.2014 माल लॉट नं० 3172 पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ में दाखिल कराया गया था। उसकी प्राप्ति रसीद का अवलोकन कर उसका अंकन किया गया है। पत्रावली में संलग्न कागज सं० B–11/1 ता B–11/2 माल नमूना प्राप्ति की रसीद है जो पत्रावली में संलग्न है जिसकी वे पुष्टि करते हैं, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया तथा इसी पर्चे में उनके द्वारा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त न होने पर जरिये SCD प्रेषित करने का अंकन किया गया है तथा इसी पर्चे में मेरे द्वारा तमामी विवेचना, बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल से जुर्म बखूबी साबित होने पर उनके द्वारा अभियुक्त खोइलन उर्फ राकेश कुमार यादव के विरूद्ध धारा –8/21/22 NDPS Act, अपराध संख्या–377/2014 में पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर उनके द्वारा आरोप पत्र सं० 54/2014 दिनांक 28.04.2014 को प्रेषित किया गया था। दिनांक 16.06.2025 को SCD के माध्यम से SI विनोद कुमार द्वारा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्यायालय पर दाखिल किया है। परीक्षण रिपोर्ट SCD के साथ संलग्न है जो पत्रावली में कागज सं० A–78/2 है, जिसकी वे पुष्टि करता हैं, जिस प्रदर्श क–8 डाला गया है। पत्रावली में संलग्न कागज सं० B–1/5 मुकदमें का आरोप पत्र है जो उनके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया है।

16– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता चीफ एल०ए०डी०सी० ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि बरामदगी एवं गिरफ्तारी के वक्त वादी द्वारा एन० डी० पी० एस० एक्ट का पालन नहीं किया गया। धारा–50 एन०डी०पी०एस० एक्ट अभियुक्त को उसकी जामा तलाशी मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी के समक्ष कराने का अधिकार देता है। घटनास्थल के आस पास राजपत्रित अधिकारी निवास करते हैं परन्तु अभियुक्त की जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं करायी गयी। साक्षियों के बयानों में गम्भीर विरोधाभाष है। किसी भी स्वतंत्र साक्षी को गवाह नहीं बनाया गया है। इससे अभियोजन अपना केस संदेह से परे साबित नहीं कर सका है अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना है।

17– दौरान बहस राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन० डी० पी० एस० एक्ट) ने यह तर्क दिया कि घटना के समय अभियुक्त के पास से 600 नाजायज अल्प्राजोलम की नशीली गोलियां बरामद हुआ था। घटना के समय अभियुक्त को एन० डी० पी० एस० एक्ट के विधिक अधिकार के बारे में बताया गया था कि वह चाहे तो अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी के समक्ष दे सकता है, परन्तु अभियुक्त के

इन्कार करने पर वादी ने सहमति पत्र लेकर तलाशी ली थी। अभियुक्त अल्प्राजोलम की नशीली गोलियां रखने का लाइसेंस दे पाने में असफल रहा। उक्त तथ्य अभियोजन साक्षियों के बयान से साबित है। अतः अभियुक्त को धारा 8/21/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्रावधानों के तहत दण्डित किये जाने की याचना है।

18– मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता चीफ एल०ए०डी०सी० तथा राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन०डी०पी०एस० एक्ट) की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

19– न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है किः–

1– क्या मामले में अभियोजन द्वारा दिखायी गयी बरामद वस्तु अल्प्राजोलम की नशीली गोलियां है?

2– क्या दिनांक–06.04.2014 को समय करीब 06.30 बजे सुबह वादी/निरीक्षक राम चन्द्र यादव एवं उनके हमराहियान ने अभियुक्त को स्थान ग्राम खनपुरवा जाने वाले चकमार्ग, थाना को० भिनगा, जनपद श्रावस्ती में 600 नाजायज अल्प्राजोलम की नशीली गोलियां के साथ गिरफ्तार किया गया तथा बरामदगी एवं गिरफ्तारी के समय एन० डी० पी० एस० एक्ट के सुसंगत उपबन्धों का अनुपालन किया गया?

20– न्यायालय के सामने पहला विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या मामले में अभियोजन द्वारा दिखायी गयी बरामद वस्तु अल्प्राजोलम की नशीली गोलियां है?

21– यदि अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों के साक्ष्य को देखा जाये तो मौके पर मौजूद सभी साक्षियों ने घटना का समर्थन करते हुये कहा है कि अभियुक्त की जामा तलाशी वादी मुकदमा द्वारा ली गयी, तो उसके पास से 10 स्ट्रिप, जिसमें 600 अल्प्राजोलम की नशीली गोलियां बरामद हुयीं। बरामद माल में से नियमानुसार नमूना माल 180 गोलियां निकाली गयीं, जिसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, जहां से उसमें अल्प्राजोलम की नशीली गोलियां होने की पुष्टि हुयी। मामले के विवेचक शशिनाथ भारती ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट जो पत्रावली में संलग्न है, को प्रदर्श क–8 के रूप में साबित किया है जिसमें परीक्षण हेतु प्राप्त माल मुकदमा में अल्प्रजोलम होने की पुष्टि की गयी है।। अतः मौखिक साक्ष्य की पुष्टि दस्तावेजी साक्ष्य से होती है। विधि अनुसार नमूना लिया जाना एवं उसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाना मौखिक साक्ष्य से साबित है। अतः यह तथ्य साबित होता है कि मामले में बरामद दिखायी गयी वस्तु अल्प्राजोलम की नशीली गोलियां ही है।

22– न्यायालय के सामने दूसरा विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या दिनांक–06.04.2014 को समय करीब 06.30 बजे सुबह वादी/निरीक्षक राम चन्द्र यादव एवं उनके हमराहियान ने अभियुक्त को स्थान ग्राम खनपुरवा जाने वाले चकमार्ग, थाना को० भिनगा, जनपद श्रावस्ती में 600 नाजायज अल्प्राजोलम की नशीली गोलियां के साथ गिरफ्तार किया गया तथा बरामदगी एवं गिरफ्तारी के समय एन० डी० पी० एस० एक्ट के सुसंगत उपबन्धों का अनुपालन किया गया?

23– धारा–50 एन०डी०पी०एस० एक्ट अभियुक्त व्यक्ति को यह विधिक अधिकार देता है कि यदि उसके पास से मादक पदार्थ की बरामदगी होनी है तो वह अपनी जामा तलाशी मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी के समक्ष देगा।

24– प्रश्नगत मामले में जैसा कि फर्द ए 3/3 में वादी ने उल्लेख किया है कि वादी ने अभियुक्त से बताया था कि उसकी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष होगी, परन्तु अभियुक्त के इंकार करने व सहमति पत्र देने पर वादी ने स्वयं ही अभियुक्त की जामा तलाशी ले ली।

25– घटना की प्राथमिकी फर्द बरामदगी कागज संख्या ए–3/3 प्रदर्श क–1 के आधार पर वादी द्वारा दर्ज करायी गयी थी। फर्द में वादी ने संक्षेप में यह अभिकथित किया है कि अभियुक्त को 600 नाजायज अल्प्राजोलम की नशीली गोलियां के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से अल्प्राजोलम की नशीली गोलियां रखने व बेचने का लाइसेंस मांगा गया तो वह नहीं दिखा सका। तत्पश्चात् आवश्यक कार्यवाही के बाद वादी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

26– मामले की विवेचना उपनिरीक्षक शशिनाथ भारती द्वारा की गयी। वे अभियोजन की ओर से पी०डब्लू०–6 के रूप में परीक्षित हुए हैं। उन्होंने अपने सशपथ बयान के दौरान प्रश्नगत मामले की विवेचना करना, चिक राइटर व फर्द के गवाहों का बयान धारा–161 दं०प्र०सं० अंकित करना तथा वादी की निशान देही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी अपने लेख व हस्ताक्षर मे तैयार करना, बादहू पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करना कहा है।

27– मामले में फर्द के सभी साक्षीगण ने अपने मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन करते हुये साक्ष्य दिया है, परन्तु जिरह में पी०डब्लू०–1 वादी सेवानिवृत्त निरीक्षक राम चन्द्र यादव ने कहा है कि मुल्जिम की तलाशी से पूर्व हम लोगों ने आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी लिया था। मैंने सबसे पहले किसकी जामा तलाशी ली थी, इस समय मुझे याद नहीं

है। फर्द में आपसी जामा तलाशी का जिक्र नहीं है। उस समय कोई राजपत्रित अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद नहीं था जब हम लोगों ने आपस में जामा तलाशी लिया था। माल नमूना बनाये जाते समय भी कोई राजपत्रित अधिकारी मौजूद नहीं था। मौके से किसी उच्च अधिकारी को सूचना नहीं दिया था। मुल्जिम की गिरफ्तारी की सूचना उसके घरवालों को मौके से ही दी गयी थी। किस माध्यम से दिया था, याद नहीं है। **पी०डब्लू० 2 सेवानिवृत उपनिरीक्षक राम शरण यादव ने जिरह में कहा है** कि अभियुक्त की तलाशी किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं हुई थी। घटनास्थल से मजिस्ट्रेट कितनी दूरी पर बैठते थे, मुझे याद नहीं है। सहमति पत्र एस०एच०ओ० ने लिखवाया था, किससे लिखवाया था, मुझे याद नहीं है। सहमति पत्र पर एस०एच०ओ० के हस्ताक्षर थे और मुल्जिम ने टाप लगाया था। मौके पर पहले मुल्जिम गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तारी के बाद उसकी सहमति ली गयी और सहमति तैयार की गयी। फिर जामा तलाशी हुई। मुकदमा लिख जाने के बाद मैंने किसी उच्चाधिकारी को नहीं बताया था बल्कि एस०एच०ओ० साहब ने सूचना दी थी। **पी०डब्लू० 3 सेवानिवृत उ०नि० जय नरायन मिश्र ने जिरह में कहा है** कि एस०एच०ओ० साहब ने अभियुक्त खोइलन के पास नशीली गोलियां होना बताया था। एस०एच०ओ० साहब ने अभियुक्त खोइलन के पास नशीली गोली होने की जानकारी होने पर इसकी सूचना अपने उच्चाधिकारी को दी थी कि नहीं, इसके बारे में एस०एच०ओ० साहब ही बता पायेंगे। मौके से एस०एच०ओ० साहब ने किसी राजपत्रित अधिकारी को सूचना दिया कि नहीं यह एस०एच०ओ० साहब जाने। मुल्जिम की तलाशी एस०एच०ओ० साहब ने लिया था। मैंने किसकी तलाशी ली थी व मेरी तलाशी किसने लिया था, इस समय नहीं बता पाऊंगा। घटनास्थल से थाने की दूरी 7 किलोमीटर है। थाने से कलेक्ट्रेट की दूरी कितनी है, नहीं बता पाऊंगा। मुकदमा लिख जाने के बाद बरामदगी के विषय में उच्चाधिकारी को बताया गया कि नहीं यह बात मुखिया बता सकते हैं। **पी०डब्लू० 5 मुख्य आरक्षी नीरज पाल ने जिरह में कहा है** कि नशीली गोलियों की जानकारी होने के बाद किसी राजपत्रित अधिकारी को सूचना दी गयी थी कि नहीं यह बात एस०एच०ओ० साहब बता पायेंगे। मैंने मौके पर किसी की तलाशी नहीं ली थी।

28– उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि घटना स्थल खनपुरवा जाने वाले चकमार्ग, थाना को० भिनगा, जनपद श्रावस्ती की है। मुख्यालय भिनगा में राजपत्रित अधिकारी निवास करते हैं। घटना 06.30 बजे के समय की है। अभियुक्त की जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष होनी चाहिये थी। घटनास्थल से राजपत्रित अधिकारी का

आवास व कार्यालय नजदीक ही था, परन्तु वादी द्वारा अभियुक्त की जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी के समक्ष नहीं करायी गयी। मात्र वादी द्वारा अभियुक्त के सहमति पत्र के आधार अभियुक्त की जामा तलाशी ले ली गयी। धारा–42 एन० डी० पी० एस० एक्ट के अनुसार यदि अभियुक्त से मादक पदार्थ की भी बरामदगी होती है तो वादी द्वारा उसकी सूचना 72 घण्टे के अन्दर अपने उच्चाधिकारियों को दी जानी चाहिए परन्तु उच्चाधिकारियों को 72 घण्टे के अन्दर सूचना दी गयी इसका कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। वादी ने अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात मानवाधिकार आयोग एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया इसका भी कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया है न तो कोई साक्ष्य पत्रावली में दाखिल किया है। फर्द के साक्षीगण के सम्पूर्ण साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त की जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष नहीं करायी गयी है। मात्र अभियुक्त से सहमति पत्र प्राप्त करके उसकी जामा तलाशी ले ली गयी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के वक्त एन० डी० पी० एस० एक्ट में उपबन्धित नियमों का पालन वादी मुकदमा द्वारा नहीं किया गया।

29– इसके साथ ही यदि हम अभियोजन द्वारा फर्द बरामदगी के परीक्षित साक्षी के मुख्य परीक्षा को देखें तो उन्होंने घटना का समर्थन करते हुये साक्ष्य अंकित कराया है, किन्तु दौरान **जिरह पी०डब्लू० 1 वादी सेवानिवृत्त निरीक्षक राम चन्द्र यादव ने कहा है कि** मुखबरी सूचना मुखबिर ने आकर मुझे बताया जो प्रातः 06.00 बजे का समय रहा होगा। मुखबरी सूचना मिलने पर हम लोग आधे घण्टे तक भंगहा मोड़ पर रुके थे। भंगहा मोड़ से सारी कार्यवाही के पश्चात् 08.50 बजे थाना पहुंचे थे। जब हम लोग भंगहा मोड़ पर खड़े थे, उस समय लोगों की आवाजाही थी। **पी०डब्लू० 2 साक्षी राम शरण यादव ने जिरह में कहा है** कि मुखबिर ने सूचना इंस्पेक्टर साहब को दी थी। सूचना साढ़े पांच बजे सुबह दी थी। मुखबिर मोटरसाइकिल से आया था। जब हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे थे, तब अंधेरा नहीं था बल्कि उजाला था। सवा छः बजे सुबह देखा था। **पी०डब्लू० 3 सेवानिवृत उ०नि० जय नरायन मिश्रा ने जिरह में कहा है** कि भंगहा मोड़ पर हम लोग लगभग साढ़े पांच बजे खड़े थे। भंगहा मोड़ से हम लोग मुखबिर के साथ सेमरी चक पिहानी की ओर प्रस्थान किए। वहां से 6 बजे प्रस्थान किए। मुखबिर ने जो बात एस०ओ० साहब को बतायी थी, वह मैंने सुना था, क्योंकि मैं वहां मौजूद था। मुखबिर किस साधन से आया था। मुझे ध्यान नहीं है। मुखबिर ने एस०ओ० साहब से बताया था कि मुल्जिम रक्षाराम यादव जो शातिर चोर है,

इस समय नशीली गोलियों को लाकर बेच रहा है और उसी से मौज मस्ती कर रहा है। जब हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे, तो पर्याप्त उजाला हो गया था। मौके पर करीब 2 घण्टा रुके थे। इस दो घण्टे के दौरान आम जनता के आने जाने वाले लोग मिले लेकिन कहने पर भी कोई गवाही के लिये तैयार नहीं हुआ। **पी०डब्लू० 4 एस०आई० उमाशंकर यादव ने जिरह में कहा है** कि मुल्जिम की तलाशी थाने पर मेरे सामने हुई थी। मुल्जिम के पास से थाने पर कोई वस्तु बरामद नहीं हुई थी। **पी०डब्लू० 5 मुख्य आरक्षी नीरज पाल ने जिरह में कहा है** कि भंगहा मोड़ पर पहुंचने का समय याद नहीं है। संदिग्ध व्यक्ति के बारे में सूचना जरिए फोन एस०एच०ओ० भिनगा साहब को मिली थी। जब एस०एच०ओ० साहब को सूचना मिली तब मैं गाड़ी में उनके पीछे बैठा था। भंगहा मोड़ से घटनास्थल तक पहुंचने में लगभग 20 मिनट का समय लगा होगा। घटनास्थल पर पहुंचने के समय शाम हो गयी थी। मुल्जिम की तलाशी के दौरान उसके पास से मोबाइल, रुपया पैसा, आधार कार्ड, पान, बीड़ी, सिगरेट आदि मिला था या नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है । **पी०डब्लू० 6 विवेचक शशिनाथ भारती ने जिरह में कहा है** कि मुल्जिम से रिमाण्ड के पूर्व फर्द की द्वितीय प्रति प्राप्त नहीं की थी, क्योंकि उसके पास फर्द की द्वितीय प्रति नहीं थी। मुल्जिम से मैंने फर्द की द्वितीय प्रति के बारे में कोई पूछताछ नहीं किया था। इस घटना के सम्बन्ध में मैंने किसी स्वतंत्र साक्षी का बयान अंकित नहीं किया है और न ही मैंने घटना को तस्दीक करने के सम्बन्ध में किसी गांव के किसी व्यक्ति से पूछताछ किया था। अभियोजन साक्षियों के कथन को देखा जाए, तो फर्द के साक्षीगण के बयान घटना के समय व मुखबिर द्वारा एस०एच०ओ० को सूचना दिये जाने के माध्यम के सम्बन्ध में भिन्न–भिन्न है। यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के पास से अल्प्रजोलम की नशीली गोलियों के अलावा अन्य कोई वस्तु या रुपया पैसा बरामद नहीं हुआ था। फर्द के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुखबिर ने एस०एच०ओ० को बताया था कि अभियुक्त नशीली गोलियां लेकर उन्हें बेचने जाने वाला है। यात्रा करने के लिए निश्चित रूप से पैसों की आवश्यकता होती है। विवेचक द्वारा इस सम्बन्ध में कोई विवेचना नहीं की गयी है कि अभियुक्त अल्प्रजोलम की नशीली गोलियां कहां से लाया था तथा कहां लेकर जा रहा था, ये सभी तथ्य अभियोजन द्वारा कथित घटना को संदेहास्पद बनाता है। पत्रावली पर उपलब्ध सहमति पत्र प्रदर्श क –2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सहमति पत्र पर केवल अभियुक्त का निशानी अंगूठा तथा वादी के हस्ताक्षर मौजूद हैं, अन्य फर्द के साक्षीगण के कोई हस्ताक्षर मौजूद नहीं हैं। यह सहमति पत्र को संदेहास्पद बनाता है कि उसे मौके पर ही तैयार किया गया है या कहीं अन्य स्थान पर।

30– यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि घटनास्थल खरगौरा व सेमरी चौराहा जाने वाले मार्ग के पास की है, परन्तु न तो फर्द के साक्षीगण ने और न ही विवेचक ने किसी स्वतंत्र साक्षीगण का बयान अंकित करने का प्रयास किया है। ऐसे में यह तथ्य भी घटना को संदेहास्पद बनाता है।

31– फर्द में यह उल्लिखित है कि फर्द लिखने के बाद उसकी नकल मौके पर ही अभियुक्त को दी गयी थी। इसका समर्थन फर्द के साक्षीगण ने अपने साक्ष्य में भी किया है, परन्तु यदि प्रदर्श क–4 को देखा जाये तो इसमें थाने में हवालात में दाखिला के समय अभियुक्त की जब जामा तलाशी ली गयी तो पहने हुये कपड़ों के अलावा उसके पास से अन्य कोई वस्तु बरामद न होने का उल्लेख है। थाने पर जामा तलाशी में फर्द बरामद न होने के तथ्य से भी अभियोजन कथानक संदिग्ध साबित होता है, क्योंकि यदि मौके पर फर्द की नकल दी गयी होती, तो वह थाने पर तलाशी के दौरान अभियुक्त के पास से बरामद होती।

32– उपर्युक्त विवेचना एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय एन०डी०पी०एस० एक्ट के सुसंगत प्राविधानों का पालन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन अभियुक्त पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट को संदेह से परे साबित नहीं कर सका है, इसलिये अभियुक्त को संदेह के आधार पर आरोपित अपराध धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

33– अभियुक्त **खोइलन उर्फ राकेश कुमार यादव** को एन०डी०पी०एस० विशेष वाद संख्या–100018/2014, मुकदमा अपराध संख्या–377/2014, थाना – को० भिनगा, जनपद–श्रावस्ती के मामले में धारा–8/21/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

34– अभियुक्त को आदेशित करने के पश्चात भी उसने धारा–437(ए) दं०प्र०सं० के अनुपालन में व्यक्तिगत बंधपत्र व प्रतिभू प्रस्तुत नहीं किया है।

35– अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह जेल से रिहा होने के 15 दिन के अन्दर पूर्व आदेश के अनुपालन में धारा–437 (ए) दं०प्र०सं० मु० 50,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करें।

36– बाद मियाद अपील/अपील में पारित निर्णय के अधीन माल मुकदमाती अल्प्रजोलम की नशीली गोलियां नियमानुसार नष्ट किया जाये।

37– निर्णय/आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक को जरिए ई–मेल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

दिनांक 11.06.2026 **(अमित कुमार प्रजापति)**
अपर सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती।

उपर्युक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 11.06.2026 **(अमित कुमार प्रजापति)**
अपर सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती।